B.A-II

राज्य के नीतिनिदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)

भारतीय संविधान के लिए निर्देशक तत्व तेजबहादुर सप्रू समिति ने तैयार किया था। भारतीय संविधान के भाग 4 की धारा 36 से लेकर 51 तक राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित लोकहितकारी राज्य एवं समाजवादी राज्य की स्थापना का आदर्श तभी प्राप्त किया जा सकता है जब राज्य इन सिद्धान्तों को लागू करें। नीति निदेशक तत्वों को सरलता से स्पष्ट करने के लिए चार वर्गों में विभक्त किया जा सकता है-

1- आर्थिक नीति संबंधी तत्व
2- सामाजिक एवं शिक्षा संबंधी तत्व
3- शासन संबंधी तत्व
4- अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व

1- आर्थिक नीति संबंधी तत्व - इस वर्ग के अंतर्गत उन तत्वों को रखा गया है, जो राज्य में आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करने का उद्देश्य रखते हैं। संविधान के इन अनुच्छेदों के अंतर्गत 39, 31, 42, 43, 46, 47, और 48 हैं। इन अनुच्छेदों में इस बात पर जोर दिया गया है कि नागरिकों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए और उनका शोषण रुकना चाहिए। ये तत्व अग्रलिखित हैं-

1- राज्य के सभी नागरिकों को जीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार समान है अर्थात् राज्य का यह कर्तव्य है कि भुखमरी को बंद करने की चेष्टा करे।

2- समाज की आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार हो कि उत्पादन के साधनों का अहितकर केन्द्रीकरण न होकर उससे सर्व-साधारण का कल्याण हो।

3- पुरुषों तथा महिलाओं को समान कार्यों के लिए समान वेतन मिले।

4- पुरुषों तथा महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बच्चों की सुकुमारावस्था का दुरुपयोग न हो।

5- बालकों तथा नवयुवकों की शोषण और अनैतिकता से रक्षा हो।

6- राज्य ग्राम पंचायतों का समुचित संगठन करे। राज्य ऐसी व्यवस्था करे, जिससे नागरिकों को मानवोचित रूप से कार्य करने का अवसर मिले तथा प्रसूति के समय नारियों को सहायता मिल सके।

G. P. Rathaur

Scanned by TapScanner

7- कानून या आर्थिक संगठन द्वारा राज्य ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करे। जिससे कृषि, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में श्रमिक को कार्य तथा निर्वाह योग्य मजदूरी मिले।

8- कृषि पशुपालन आदि के क्षेत्रों में आधुनिक तथा वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग कर राज्य उनकी दशा में सुधार करे तथा दूध देने वाले पशुओं की वध से रक्षा करे।

2- सामाजिक एवं शिक्षा संबंधी तत्व - सामाजिक और शिक्षा संबंधी। जिन तत्वों का प्रतिपादन किया गया है उनका उद्देश्य सामाजिक लोककल्याण की स्थापना है, इनमें निम्न लिखित प्रमुख है -

1- राज्य समस्त देश में एक ही प्रकार के कानून हो। जिसका आधार धर्म न रहे। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर राज्य निष्पक्ष न्याय की समुचित व्यवस्था करे।

2- राज्य 14 वर्ष की उम्र तक के बालकों और बालिकाओं के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे।

3- राज्य जनता के दुर्बलतर वर्गों, अछूतों एवं अनुसूचित वर्ग के लोगों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए व्यवस्था करे एवं उनके आर्थिक तथा सामाजिक हितों को संवर्धित करे।

4- राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि नागरिकों का स्वास्थ्य सुधार हो। इस उद्देश्य से राज्य हानिकारक मादक पेयों तथा मादक वस्तुओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाए और ऐसा प्रबंध करे कि केवल चिकित्सा के उद्देश्य से उनका उपयोग हो।

5- राज्य का यह दायित्व या कर्तव्य होगा कि वह उस ऐतिहासिक अथवा कलात्मक महत्व के प्रत्येक स्मारक या वस्तु जिसे संसद राष्ट्रीय महत्व का घोषित करे कि रक्षा दूषित होने, स्थानांतरित किए जाने या बाहर भेजे जाने से करे।

3- शासन संबंधी तत्व - देश के प्रशासन में जिन सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाए, उनके संबंध में कतिपय विचारों का प्रतिपादन किया गया है जिनमें प्रमुख है -

1- कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्क होना है।

2- ग्राम पंचायतों का संगठन आदि। इनका उद्देश्य क्रमशः निष्पक्ष न्याय की प्राप्ति एवं रचनात्मक कार्यों द्वारा ग्राम सुधार करना है।

Scanned by TapScanner

4- <u>अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व</u> - यह सिद्धान्त महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित है। गांधी जी विश्व शांति तथा मानव कल्याण को अपने जीवन का लक्ष्य मानते थे। संविधान में कहा गया है कि " राज्य विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्याय तथा सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करने की चेष्टा करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संविधान का आदर करेगा और अंतर्राष्ट्रीय मतभेद को मध्यस्थता द्वारा हल करने का प्रयत्न करेगा।"

Scanned by TapScanner